न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 9/2020(2020/00009)

मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह आयु 67 वर्ष जाति जटसिख निवासी मकान नंबर आई ब्लॉक 79 मिनी सचिवालय हनुमानगढ जं0 तहसील व जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 8

बनाम

1. बलकरण सिह पुत्र श्री मिठू सिह }
2. मिठू सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह } जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. हरबंस सिह }
4. रूप सिंह } पुत्रगण स्व श्री सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. सोहन सिंह पुत्र रूड़ सिंह जाति जटसिंह निवासी ढाबां
6. गुरजण्ट सिह
7. दर्शन सिह
8. हरदम सिंह
9. सिकन्दर सिंह } पुत्रगण श्री पूर्ण सिह तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ
10. मुख्त्यार कौर उर्फ हरविन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री हरदीप सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. मनिन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री गुरछविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. रामअंश सिंह }
13. सुखमणी कौर } पिसरान श्री गुरछविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
14. कुलदीप सिह पुत्र. श्री सुखमहेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
15. करतार कौर धर्म पत्नी स्व0 श्री पूर्ण सिह जाति जटसिख निवास निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
16. लालजी पुत्र कुलदीप सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
17. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री कु[illegible] निवासी ढाबां तहसील संगरिया
18. शमशेर सिह }
19. ल्खविन्द्र सिह } पुत्रगण गु[illegible]सिख निवासी ढाबां [illegible] संगरिया जिला हनुमानगढ।
20. मनप्रीत कौर धर्म पत्नी श्री शमशेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

21. राजदीप कौर धर्म पत्नी श्री लखविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
22. मदन सिह पुत्र गुरदेवसिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां, तहसील
23. जसविन्द्र सिह पुत्र गुंरदेव सिह } संगरिया जिला हनुमानगढ।
24. रमन दीनप सिह पुत्र मदन सिंह } जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील
25. प्रीतपाल सिह पुत्र मदन सिह } संगरिया जिला हनुमानगढ।
26. सिमरजीत कौर धर्म पत्नी श्री मदन सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
27. मनदीप सिह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
28. सर्वजीत कौर धर्मपत्नी श्री जसविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
29. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.06.2018 डिक्री दिनांक 14.11.2018, प्र. सं. 315/2017
अनवान बलकरण सिह आदि बनाम हरबिंश सिंह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

उपस्थितः—
श्री लालचन्द्र वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0

(2) अपील संख्या 10/2020(2020/00010)

मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह आयु 67 वर्ष जाति जटसिख निवासी मकान नंबर आई ब्लॉक 79 मिनी सचिवालय हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ

—अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 8

बनाम

1. बलकरण सिह पुत्र श्री मिठू सिंह } जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील
2. मिठू सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. हरबंस सिह } पुत्रगण स्व श्री सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासीगण
4. रूप सिंह } ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

5. सोहन सिंह पुत्र रूड़ सिंह
6. गुरजण्ट सिह
7. दर्शन सिह
8. हरदम सिंह
9. सिकन्दर सिंह

(6–9) पुत्रगण श्री पूर्ण सिह

(5–9) जाति जटसिंह निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

10. मुख्त्यार कौर उर्फ हरविन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री हरदीप सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. मनिन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री गुरछविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. रामअंश सिंह
13. सुखमणी कौर

(12–13) पिसरान श्री गुरछविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

14. कुलदीप सिह पुत्र. श्री सुखमहेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
15. करतार कौर धर्म पत्नी स्व0 श्री पूर्ण सिह जाति जटसिख निवास निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
16. लालजी पुत्र कुलदीप सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
17. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया
18. शमशेर सिह
19. लखविन्द्र सिह

(18–19) पुत्रगण गुरमेल सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

20. मनप्रीत कौर धर्म पत्नी श्री शमशेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।
21. राजदीप कौर धर्म पत्नी श्री लखविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
22. मदन सिह पुत्र गुरदेवसिंह
23. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुंरदेव सिह

(22–23) जाति जटसिख निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

24. रमन दीनप सिंह पुत्र मदन सिंह
25. प्रीतपाल सिह पुत्र मदन सिह

(24–25) जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

26. सिमरजीत कौर धर्म पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
27. मनदीप सिह पुत्र श्री जसविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
28. सर्वजीत कौर धर्मपत्नी श्री जसविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
29. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested

Lomo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2018, प्र. सं. 315/2017
अनवान बलकरण सिह आदि बनाम हरबिंश सिंह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

उपस्थितः–
श्री लालचन्द्र वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 61

निर्णय दिनांक 23.05.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु एक वाद राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 4 बीजीपी के खाता संख्या 68/71 खाता सं0 69/106, खाता संख्या 80/72 के संबंध में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि वाद पत्र में वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है। लेकिन घरू बंटवारा अनुसार चक 4 बीजीपी के खाता संख्या 68/71 में रेस्पो0 सं0 1 के कब्जा में 1.058 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के कब्जा काश्त में 0.543 है0व व खाता संख्या 69/106 में रेस्पोडेण्ट सं0 2 के कब्जा काश्त में 0.759 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 80/72 में रेस्पो0 सं0 1 के कब्जा काश्त में 0.506 है0 तथा कथन किया कि इस भूमि पर वे घरू बंटवारा के रोज से कबिज है तथा बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार विशिष्ट किलों की भूमि का खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायलाय ने कैम्प कोर्ट ढाबां में सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश फरमाते हुए रेस्पोडेण्ट का वाद में प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की। जिसेस व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध उपरोक्त दो अपीले पेश की है। दोनों अपीलों समान पक्षकार होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जो कि अपीलाण्ट का सगा भाई है को इस तथ्य की जानकारी रही है कि अपीलांट स्थाई रूप से हनुमानगढ जंक्शन में निवास कर रहा है के बावजूद वादपत्र में अपीलांट का पता गलत रूप से ढाबां का दर्शाया तथा इस गलत पता पर रजिस्टर्ड डाक सम्प्रेषित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक की ना तो कोई पावती

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

रसीद आई व ना ही मूल रजिस्टर्ड लिफाफा लौटकर आया अपीलांट का पता सही प्रस्तुत नहीं किया गया। तामील की यह प्रक्रिया आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। कथित बंटवारा के आधार प्राप्त होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं हुई है। कथित घरू बंटवारा कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है कि किस किस पक्षकार के मध्य बंटवारा हुआ था। बिना किसी साक्ष्य के रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के हक हिस्सा की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत तीनों चकों चक सं0 4 बीजीपी के वर्णित खाता संख्या 68/71, खाता संख्या 69/106, खाता संख्या 80/72 में राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज भूमि से अधिक भूमि कथित किसी बंटवारा के आधार पर प्राप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। तीनों खातों में अपीलाण्ट की क्रमशः 0.330 है0, 1.008 हैव 0.197 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है अपीलाण्ट की उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त खातों में अपीलाण्ट के हक व हिस्सा की भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित करने कोई अधिकार नहीं था। बिना घोषणा के महज कब्जा के आधार पर रेस्पोडेण्ट को उनके वैध हिस्से से अधिक भूमि का खाता विभाजन कर दिया गया है। तहसीलदार संगरिया तथा भू निरीक्षक ने खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जो राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा–कसी के अनुसार नहीं है। । राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना हेतु प्राथमिक डिक्री पारित होनी आवश्यक थी जो नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2010 पेज 647, 415, सीसीसी 2013 (1) पेज 400, एआईआर, 2001 पेज 1 एचपी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के सम्मन राजस्व रिकार्ड में जो पता दर्ज है उसी पते पर भिजवाये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट को साधारण सम्मन एवं जरिये रजिस्टर्ड एडी तथा जरिये अखबार में साया किये गये थे, सीपीसी के प्रावधानों के अनुसरण में तीनों प्रावधानों से तामील करवाई गई है। अपीलाण्ट सेवा निवृत कर्मचारी है जो पढा लिखा व्यक्ति है तथा अपीलाण्ट स्वयं द्वारा बैंक के समक्ष [illegible] धारा 6 (1) के प्रपत्र में अपना व अपनी पत्नी का पता ढाबां गांव अंकित [illegible] जिस बाबत अपीलाण्ट स्वयं का एडमिशन है। तथा बहस में यह भी कथन किया कि [illegible] रेस्पोडेण्टान/सहखातेदारान के शपथ–पत्र भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में है कि [illegible] आराजी जरिये अपीलाधीन डिक्री रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई है उसी आराजी पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 काबिज चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक मोका कब्जा रिपोर्ट व नक्शा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुसरण में ही अंतिम डिक्री पारित की है। रेस्पोडेण्ट ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई भू भाग सांझे खाते में से नहीं बताया जो जरिये अपीलाधीन डिक्री रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्राप्त किया गया हो। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपीलाधीन डिक्री पारित होने से अपीलाण्ट किस प्रकार से प्रभावित है ऐसा में कोई कथन अपीलाण्ट ने अपील में नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने वैद्य हिस्से .005 है0 कम आराजी जरिये अपीलाधीन डिक्री प्राप्त की है। मात्र तामील के आधार अपीलाण्ट अपील प्रस्तुंत करने का अधिकारी नहीं है उसे विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुंत करना चाहिए था। अपीलांट ने जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। वादपत्र में कथन किया कि चक 4 बीजीपी के खाता संख्या 68/71 खाता संख्या 69/106, खाता संख्या 80/72 के संबंध में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि वाद पत्र में वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है। लेकिन घरू बंटवारा अनुसार चक 4 बीजीपी के खाता संख्या 68/71 में रेस्पो0 सं0 1 के कब्जा में 1.058 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के कब्जा काश्त में 0.543 है0 व खाता संख्या 69/106 में रेस्पोडेण्ट सं0 2 के कब्जा काश्त में 0.759 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 80/72 में रेस्पो0 सं0 1 के कब्जा काश्त में 0.506 है0 तथा कथन कियाकि इस भूमि पर वे घरू बंटवारा के रोज से कबिज है तथा बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर रेस्पोडेण्ट के हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की । अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 डीएनजे पेज 634 सुप, माननीय राजस्व मण्डल की निगरानी सं0 2220/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2015 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दसतावेजात अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील कानिस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है अ[illegible] की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने [illegible] अधिकारों की घोषणा चाहते हुए का निवेदन किया एवं वादीगण [illegible] अलग [illegible] कायम करने का अनुतोष मांगा, जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के [illegible] किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह सेवा निवृत कर्मचारी है और कई वर्षो से [illegible]मानगढ जं0 के मिनी सचिवालय सैक्टर आई ब्लॉक नम्बर 79 में कई वर्षों से निवास करता है। उसका पता गांव ढाबां का दर्शाया गया है जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ढाबां का ही निवासी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्ट ने स्वयं द्वारा बैंक के समक्ष कृषि भूमि रहन रखते समय धारा 6 (1) के प्रपत्र में अपना व अपनी पत्नी का पता ढाबां गांव अंकित किया है, जिस बाबत अपीलाण्ट स्वयं का एडमिशन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट को साधारण सम्मन एवं जरिये रजिस्टर्ड एडी तथा जरिये अखबार में साया सीपीसी के प्रावधानों के अनुसण में तीनों प्रावधानों से तामील करवाई गई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक मोका कब्जा रिपोर्ट व नक्शा के अनुसरण में ही अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई भू भाग सांझे खाते में से नहीं बताया जो जरिये अपीलाधीन डिक्री रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपीलाधीन डिक्री पारित होने से अपीलाण्ट किस प्रकार से प्रभावित है ऐसा में कोई कथन अपीलाण्ट ने अपील में नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने वैद्य हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त की हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलाण्ट ने अपील में प्रस्तुंत नहीं किया है, जबकि अपील में लगभग 20 रेस्पोडेण्टान के शपथ–पत्र प्रस्तुंत किये है जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अपीलाधीन डिक्री प्राप्त आराजी पर काबिज होने की पुष्टि की है। तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.11.2018 में रेस्पोडेण्टान के प्रश्नगत भूमि पर कब्जे की पुष्टि की है। ऐसी स्थिति में दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर दोनों अपीलें अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.11.2018 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:59 IST
Reason: SelfAttested